राजस्थान सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड़

प्रेस समाचार

## 1292 मामलों का हुआ निस्तारण

झालावाड़ 10 जून/ राजस्व लोक अदालत '' न्याय आपके द्वार '' अभियान के दौरान मंगलवार को आयोजित राजस्व लोक अदालतों में 1292 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

जिले की ग्राम पंचायत झूमकी, सेमला, ढाबलाखींची, कोल्वी उर्फ मण्डी, करनवास, आंकखेड़ी, नाहरधट्टा में आयोजित राजस्व लोक अदालतों में राजस्व अधिकारियों द्वारा 9 जून को नामान्तकरण के 469 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा खाता दुरस्ती के 336, खाता विभाजन के 116, पत्थरगढी के 5, गैर खातेदारी से खातेदारी के 39, राजस्व नकल के 193, सीमाज्ञान के 5, इजराय के 20 प्रकरणों सहित स्थायी निषेधाज्ञा, धारा 251, टी.आई (स्थगन) सहित अन्य 109 मामलों का निस्तारण कर राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया।

---------

## पेंशनर्स को होगा बैंक खातों के माध्यम से होगा भुगतान

झालावाड़ 10 जून/ राज्य सरकार की मंशानुसार पेंशनर्स को राष्ट्रीय योजनाओं से जोड़कर पेंशन का समय पर भुगतान किये जाने हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत प्राप्त करने वाले पेंशनर्स अपने बैंक खाते, आधार कार्ड, भामाशाह रसीद, पेंशन आदेश पी.पी.ओ. की छायाप्रति नगर परिषद कार्यालय झालावाड़ की सामान्य शाखा में प्रातः 9.30 से 6 बजे तक जमा करवाना सुनिश्चित करेगें ताकि समस्त पेंशनर्स को आगामी माह से बैंक खातों के माध्यम से भुगतान किया जा सके।

नगर परिषद के आयुक्त रामनारायण बड़गुर्जर ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत 90 प्रतिशत पेंशनर्स के खाते पोस्ट ऑफिस में खुले हुये है ।अभियान के दौरान देखने में आया है कि पोस्ट ऑफिस द्वारा समय पर पेंशन भुगतान नहीं करने से पेंशनर्स को काफी कठिनाईयों का सामना करना पडता है जबकि वर्तमान में प्रधानमंत्री जनधन योजना एवं मुख्यमंत्री भामाशाह योजनान्तर्गत अधिकांश पेंशनर्स के बैक में खाते खुलवाये जा चुके है।

---------